

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खंड, ओखला
नई दिल्ली-25**

अल्पकालीन कोटेशन नोटिस संख्या 05/ई0ई0/2017-18

निम्नलिखित तालिका में दिये गये डम्पों पर सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय उ0प्र0 की ओर से अधोहस्ताक्षरी के द्वारा सीमेन्ट की मूल निर्माताओं से जिनके द्वारा एक लाख बैग्स प्रति दिन से अधिक उत्पादित किये जाते हो, से दिनांक 04.08.2017 की अपरान्ह 3:00 बजे तक मोहर बन्द कोटेशन आमन्त्रित किये जाते हैं जो उसी दिन 3:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कोटेशन/निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेंगे। कोटेशन में अंकित दरें वैट एवं समस्त करों सहित होंगी, अलग से कोई कर देय नहीं होगा। सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गयी दरें, एक माह तक मान्य होगी तथा आपूर्ति आदेश में अंकित समय अवधि के अन्दर सीमेन्ट की आपूर्ति करनी होगी।

क्रमांक	डम्प का नाम	अनुमानित मात्रा (बैग्स में)	
	निम्नलिखित डम्पों/सिंचाई विभाग के राजकीय भण्डार गृहो पर सीमेन्ट निर्माताओं द्वारा सीमेन्ट की आपूर्ति (50 कि0ग्रा0 के पैक में) हेतु दरें (Ex-Dump Price) जिसमें डम्प पर लोडिंग एवं समस्त कर सम्मिलित हैं।	ओ0पी0सी0 ग्रेड आई0एस0कोड संख्या- 8112-1989 (अनुमानित संख्या)	पी0पी0सी0 सीमेन्ट बैग्स आई0एस0 कोड- 1489-1991 (अनुमानित संख्या)
1	गाजियाबाद	750	7500
2	मेरठ	750	7500
3	मुजफ्फरनगर	750	7500
4	सहारनपुर	500	5000
5	मुरादाबाद	750	7500
6	बरेली	500	5000
7	रामगंगा बैराज साईट बरेली	500	5000
8	देवचरा भण्डार गृह बरेली	500	5000
9	अलीगढ़	750	7500
10	मथुरा	750	7500
11	आगरा	750	7500
12	बिजनौर	750	7500
13	कासगंज	500	7500
14	एटा	500	7500
15	शिकोहाबाद	500	7500
16	बुलन्दशहर	500	7500
17	मेनपुरी	500	7500
18	राजकीय भण्डार गृह सिंचाई विभाग जंक्शन रोड खुर्जा	500	7500
19	रामपुर	250	5000
20	फिरोजाबाद	750	7500

- यदि किसी निविदादाता द्वारा आपूर्ति आदेश में न्यूनतम मात्रा की शर्त निर्धारित की जाती है तो वो निविदा स्वीकार नहीं होगी। आपूर्ति आदेश किसी भी मात्रा के निर्गत किये जा सकते हैं।
- डम्पों पर प्राप्त न्यूनतम दरों पर आवश्यकतानुसार सीमेंट हेतु आपूर्ति आदेश अलग से प्रेषित किये जायेंगे।
- आपूर्ति सीमेन्ट की निर्माण तिथि आपूर्ति तिथि से एक माह से अधिक पूर्व की नहीं होनी चाहिए।
- अल्पकालीन कोटेशन आमन्त्रित की गयी तिथि को यदि कोई राजकीय अवकाश घोषित होता है तो कोटेशन अगले दिन प्राप्त कर निर्धारित समय पर खोली जायेगी।
- सीमेन्ट की दरों में समस्त प्रचलित कर जिनमें **G.S.T.** में निर्धारित कर भी सम्मिलित होगा।
- सशर्त कोटेशन मान्य नहीं होगी।
- सीमेंट की मात्रा में घट/बढ़ हो सकती है।
- कोटेशन के साथ सीमेन्ट आपूर्तिकर्ता फर्मों को धनराशि रु0 50000.00 की अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड ओखला नई दिल्ली-25 के पक्ष में बैंक गारण्टी देनी होगी।
- कोटेशन/निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की अधिकारी के नाम/पदनाम तथ मोबाईल नं0 सहित हस्ताक्षर होंगे।
- किसी भी सरकारी विभाग या अर्द्धसरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड फर्म द्वारा डाली गयी दरें स्वीकार नहीं की जायेगी।

(कल्पना यादव)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड ओखला
नई दिल्ली-25